15/7/23

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से विभाजन प्रस्ताव पूर्व मे प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिकी की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किया जावें। वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। वकुलाय उभय पक्षों सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि पक्षकारान मौके पर पूर्व से ही बाहमी बटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा कब्जा काश्त अनुसार बटवारा तैयार किया जाकर

— लगातार-

ख म	292/2012	बाद पत्र हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज़ज श्रीमती सुप्रिया v/s रिछपाल वगै०	नंबर व त जो इ तामील

प्रस्तावित किया गया है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक/भू.अ./2022/7001 दिनांक 29.11.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)